

टेलीप्रिन्टर, टेलिक्स, कम्प्यूटर और इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटरों आदि जैसे वर्तमान उपकरणों को आवश्यक समझा जाता है तथा उक्त उपकरणों की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण राजभाषा के वार्षिक प्रगामी कार्यक्रम पिछले 11 वर्षों से पूरा नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, नहीं । हिन्दी सलाहकार समिति का गठन दिसम्बर 1980 में हो चुका था और अगस्त, 1984 में इसका पुनर्गठन किया गया है इस समिति का अन्तिम बैठक 29 जून, 1983 को हुई थी । उससे अगली बैठक जो 9 दिसम्बर, 1983 को होनी थी, कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण स्थगित कर देनी पड़ी थी । अब, अगली बैठक 27 दिसम्बर, 1985 को होनी है ।

(ख) और (ग) योजना मंत्रालय में हिन्दी का कोई टेलीप्रिन्टर, टेलिक्स, कम्प्यूटर या इलैक्ट्रॉनिक टाइपराइटर नहीं है । राजभाषा के वार्षिक प्रगामी कार्यक्रम में इन उपकरणों की कमी से कोई बाधा नहीं पड़ रही है ।

Sale of casset bombs in Delhi and the Punjab

1893. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to news item which appeared in the Hindi *Hindustan* of 5th August, 1985 to the effect that extremists have acquired dangerous casset bombs which are being sold in Delhi and the Punjab at the rate of Rs. 100/- per casset;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what preventive measures have been taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF STATES (SHRI P.A. SANGMA) : (a) No such incident has been reported so far to the police in the Union Territory of Delhi and in the State of Punjab.

(b) Does not arise.

(c) Strict watch is being kept over the activities of the extremists. The public has been alerted through Radio/Television not to touch any unclaimed property lying in suspicious condition and to inform the local police about any such item, if noticed by them.

पोर्टब्लेयर का नाम सावरकर नगर करने की मांग

1894. श्री प्यारेलाल खंडेलवाल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्टब्लेयर का नाम सावरकर नगर कर देने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती हैं और इस शहर को सावरकर नगर नाम न देने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): (क) जी, हां, श्रीमान् ।

(ख) नीति के अनुसार सरकार गांवों कस्बों, शहरों इत्यादि का नामकरण सम्मान देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय नेताओं-के नाम पर रखने से सहमत नहीं है ।

राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों से पशुओं का हांककर ले जाया जाना और वहां अवैध प्रवेश

1895. श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में कितने व्यक्ति अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करते हुये अथवा तस्करी के मामलों में गिरफ्तार किये गये ;

(ख) भारतीय सीमा पर से पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा कितने पशु हांक कर ले जाये गये हैं ; और

(ग) इस प्रकार के अपराधों को रोकने हेतु उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रान्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण नेहरू): (क) राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर भारत में प्रवेश करते हुये सीमा सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या वर्ष 1983 के दौरान 864, वर्ष 1984 में 833 और वर्ष 1985 (28 नवम्बर तक) में 1347 है ।

(ख) हांक कर ले जाये गये पशुओं की संख्या वर्ष 1983 में 727 वर्ष 1984 में 486 और वर्ष 1985 में (28 नवम्बर, तक) में 22 है ।

(ग) सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा निरन्तर निगरानी रखी जाती है । सीमा सुरक्षा बल द्वारा स्थानीय पुलिस और अन्य निवारक एजेंसियों के साथ मिल कर घात और गश्त लगाई जाती है, तथा छापे मारे जाते हैं । घुसपैठियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निगरानी बुर्ज बनाए गये हैं । राजस्थान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त कम्पनियां तैनात की गई हैं । राजस्थान में सीमा बाह्य

चौकियों की सुरक्षा बल की होमगार्डों की सीमा शाखा द्वारा सहायता की जा रही है ।

1896. [Transferred to the 16th December 1986.]

संघ राज्य क्षेत्रों में अपराध

1897. श्री प्यारे लाल खंडेलवाल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 सितम्बर, 1985 से 31 अक्तूबर, 1985 की अवधि के दौरान दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्रों में डकैतियां, हत्याओं, बलात्कारों, अपहरणों और चोरी की कितनी-कितनी घटनायें हुई हैं ;

(ख) उक्त अपराधों के सम्बन्ध में कितने अपराधी पकड़े गये; और

(ग) गत वर्ष इसी अवधि के दौरान ऊपर उल्लिखित अपराधों की कितनी घटनायें हुई थी और कितने अपराधी पकड़े गए थे ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) दिल्ली, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, दादरा तथा नागर हवेली और लक्षद्वीप में सम्बन्धित सूचना का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । शेष संघ शासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।